

क्रमांक :-म.अ./2025/467

दिनांक :- 04.06.2025

साथिन विज्ञप्ति

जिले की निम्नलिखित पंचायत समिति के सम्मुख अंकित ग्राम पंचायतों में मानदेय कार्मिक के रूप में साथिन के रिक्त पदों पर चयन हेतु कार्यालय द्वारा महिला आवेदकों से दिनांक 03.07.2025 को सांय 5 बजे तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र०सं०	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	आरक्षण की स्थिति
01	कामां/पहाड़ी	1. सोमका	अनारक्षित
		2. घोंसिंगा	अल्पसंख्यक
02		1. बोलखेड़ा	अनारक्षित
		2. भौरी	अनारक्षित
03	सेवर	1. गोंवडी	अनारक्षित
04	वैर	1. समराया	अनारक्षित
05	डीग	1. जनूथर	अनारक्षित

- आवेदनकर्ता महिला सम्बन्धित ग्राम पंचायत की स्थानीय निवासी होनी चाहिये तथा उसके घर में शौचालय होने व नियमित उपयोग सम्बन्धित घोषणा पत्र संलग्न होना अनिवार्य है।
- साथिन हेतु न्यूनतम 8वीं (कामां-पहाड़ी) सोमका, घोंसिंगा एवं अन्य के लिए न्यूनतम 10वीं उर्तीण होना तथा विवाहित होना अनिवार्य है।
- कार्यालय द्वारा विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होगी लेकिन अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता एवं विशेष योग्यजन (गति आधारित-प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण से पीड़ित, पेशीय दुष्प्रोषण) के प्रकरण में अधिकतम आयु 45 वर्ष तक होगी।
- आवेदक अपने आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता सम्बन्धित दस्तावेज, आर०ए०सी०आई०टी प्रमाण पत्र, कार्यानुभव प्रमाण पत्र, बी०पी०एल०कार्ड एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करे।
- आवेदन फार्म इस कार्यालय अथवा विभागीय वैबसाइट (www.wcd.rajasthan.gov.in) से प्राप्त किया जा सकता है।
- आवेदक अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र दो प्रतियों में इस कार्यालय में दिनांक 03.07.2025 तक सांय 5 बजे तक व्यक्तिशः/डाक के माध्यम से जमा करा सकते हैं। एक बार आवेदन प्रस्तुत/जमा करने के पश्चात् उसमें संशोधन करने अथवा अनुलग्नक संलग्न करने की अनुमति नहीं होगी।
- अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र दिशा-निर्देश दिनांक 09.09.2015 के अनुसार ही मान्य होंगे।
- इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी इस कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।


(राजेश कुमार)
उप निदेशक

महिला अधिकारिता, भरतपुर

क्रमांक :-म.अ. / 2025 / 468-86

दिनांक:- 04.06.2025

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त निदेशक महोदय, महिला अधिकारिता राज0 जयपुर।
- 2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, जिला परिषद भरतपुर/डीग।
- 3 विकास अधिकारी पंचायत समिति कामां-पहाड़ी, सेवर, वैर, डीग।
- 4 बाल विकास परियोजना अधिकारी कामां-पहाड़ी, सेवर, वैर, डीग साथिन चयन परिपत्र दिनांक 14.10.2022 के तहत दिनांक 15.08.2025 को आयोजित ग्राम सभा में नियमानुसार चयन की कार्यवाही कराने का श्रम करें।
- 5 सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत.....
- 6 प्रोगामर महिला अधिकारिता राज0 जयपुर को विभागीय बैवसाइट पर अपलोड हेतु।
- 7 नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा/कलैक्ट्रेट/जिला परिषद भरतपुर।
- 8 रक्षित पत्रावली।



उप निदेशक
महिला अधिकारिता भरतपुर